अ.सं.9

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, राज0 जयपुर–05

क्रमांक : एफ 15(1)आयु.उ./ईएम अनु./ई.एम.–मार्गदर्शन/2012 दिनांक 11.9.~~12~~ 2012

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
समस्त।

विषय : वस्त्र रंगाई छपाई उद्योगों को उद्यमियता ज्ञापन प्रथम व द्वितीय की अभिस्वीकृति सूचना जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बाडमेर का पत्रांक–735 दिनांक 09.07.2012

महोदय,

प्रसंगत पत्र के संदर्भ में विधिक विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के प्रावधान किसी अन्य विधि में अन्यथा प्रावधान होने के बावजूद भी लागू होंगे साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी आफिस मेमोरेण्डम दिनांक 22 सितम्बर, 2009 के बिन्दु संख्या 3 एवं 4 से स्पष्ट है कि अभिस्वीकृति मात्र से कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। उद्यमी द्वारा सक्षम स्तर से क्लीयरेन्स/लाइसेंस/परमिट प्राप्त किया जाना आवश्यक है। बिन्दु संख्या 7 के अनुसार अन्य किसी प्रचलित कानून/नियम इत्यादि में अन्यथा प्रावधान होने की स्थिति में उसकी अनुपालना हेतु सम्बन्धित उद्यमी को अलग से लिखा जा सकता है।

उपरोक्त विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा दिनांक 16.12.2011 को जारी दिशा निर्देश एवं भारत सरकार द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 22 सितम्बर, 2009 परस्पर विरोधाभाषी नहीं हैं। अतः जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्यमी से ज्ञापन प्राप्त होने पर नियमानुसार उसे अभिस्वीकृति प्रदान की जा सकती है एवं ऐसी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि औद्योगिक क्षेत्र के बाहर लगायी जानी है, के बारे में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक–5(2)/1/2008–MSME Pol. दिनांक 22.09.2009 के बिन्दु संख्या 3, 4, 7 एवं जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अनुसार ऐसी इकाइयों के पंजीकरण से पूर्व राज्य प्रदूषण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा जा सकता है।

अतः तदानुसार उक्त विधिक राय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।

भवदीय,

(राजहंस उपाध्याय)
आयुक्त, उद्योग